संविधान संशोधन प्रणाली की प्रकृति (तीन प्रकार का संशोधन क्यों ?) —

भारत में संविधान संशोधन की सरल एवं जटिल प्रक्रिया का सम्मिश्रण किया गया है।

भारतीय संविधान अत्यधिक विस्तृत है व भारतीय समाज संक्रमण कालीन स्थिति में है। इसलिए अनेक प्रावधानों को परिवर्तित करने के लिए संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता है जिस प्रकार सामान्य विधियों का निर्माण होता है।

भारतीय संविधान लिखित संविधान है जिसमे मूल अधिकार व संघीय व्यवस्था का भी प्रावधान है। इसलिए अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है

→ भारतीय संविधान में राज्यों की शासन प्रणाली का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए राज्यहितों को प्रभावित करने वाले विषयों का संशोधन दो तिहाई बहुमत के अलावा आधे राज्यों के समर्थन से होता है

यदि संविधान अत्यधिक कठोर होगा तो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। अतः इसके विघटित (अप्रासंगिक होने के

संभावना बनी रहेगी और अत्यधिक सरल होगा तो कभी भी संशोधन किया जा सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग अपनाया।

संविधान का संशोधन या पूर्ण पुनरावलोकन –

भारतीय संविधान में संशोधन की तीन प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है और अभी तक 100 से ज्यादा संविधान संशोधन प्रस्तावित है।
(97 पारित)

विचारकों के अनुसार भारतीय लोकतंत्र के 50 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए संविधान के समग्र पुनरावलोकन की आवश्यकता है क्योंकि टुकड़ों में किये गये संशोधन से समग्र दृष्टिकोण का विकास नहीं होता

आलोचना –

आलोचकों का मत है कि संविधान लोगों के द्वारा विफल किया जा रहा है। इसलिए संविधान के पुनरावलोकन की बजाए राजनीतिक व्यवहारों को सुधारने की अपेक्षा है।

वर्ष 2000 में संविधान के पुनरावलोकन के लिए नहीं बल्कि संविधान के कार्यकरण के पुनरावलोकन के लिए वेंकट चलैया आयोग की स्थापना

दूर्यो और आयोग ने संसदीय शासन-प्रणाली के अंतर्गत तथा मूलभूत ढांचे के अनुसार संविधान के कार्यकरण का पुनरावलोकन किया और महत्वपूर्ण अनुशंसायें प्रस्तुत की। जैसे

सकारात्मक अविश्वास

मूल अधिकारों को व्यापक बनाया जाये

चुनाव सुधार का प्रस्तुत

(2) संघीय ढांचा

→ भारतीय संविधान संघात्मक है जहाँ केन्द्र की शक्तियां बहुत ज्यादा है।

या

→ भारतीय संविधान संघात्मक है परंतु इसमे एकात्मक लक्षण भी बने हुये हैं।

या

→ भारतीय संघीय शासन की प्रकृति बताइए।

या

→ क्या आप इस मत से सहमत है कि भारतीय संघीय प्रणाली अर्द्धसंघीय है?

Ans (A) भारत में संघीय शासन कैसे है

भारत का समाज ही संघीय है, शासन की प्रणाली भी संघीय है। बहुदलीय प्रणाली भी संघीय है।

भारत में संघीय शासन

→ 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन

→ इस विभाजन का उल्लेख लिखित व सर्वोच्च संविधान में किया गया है

→ विवादों के निपटारे के लिए स्वतन्त्र व स्वायत्त न्यायपालिका की व्यवस्था।

कैसे संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है?

सामान्य काल

→ राष्ट्रीय हित के विषयों पर संसद राज्य के विषयों पर कानून का निर्माण करे

→ दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर

→ अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के मुद्दे पर 2

आपातकाल

→ आपातकाल में शक्तियों का विभाजन ही समाप्त हो जाता है अर्थात संघीय सरकार संघ के बजाय एकात्मक रूप में काम करने लगती है

राज्य की प्रकृति

इकहरी नागरिकता
इकहरा निर्वाचन
इकहरा लेखापरीक्षक
अखिल भारतीय सेवा
इकहरी न्यायिक व्यवस्था

→ राज्यों के नाम व भूभाग बदलने की संघ की शक्ति

भारतीय संघीय प्रणाली संघात्मक है जहाँ केन्द्र सरकार की शक्तियां व्यापक हैं और राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है और भारत में वर्तमान गठबंधन सरकारों के युग में राज्य सरकार अत्यधिक शक्तिशाली बनकर उभर रही है।

भारत की संघीय प्रणाली की आलोचना अमेरिका की तुलना से नहीं हो सकता।

→ सहकारी संघवाद का अभिप्राय बताइए और भारत के संविधान के और उन संविधानेत्तर तत्वों का उल्लेख कीजिए जो सहकारी संघीय शासन को बढ़ावा देते हैं

Ans —

संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग ही सहकारी संघवाद कहलाता है।

सहकारी संघवाद के संवैधानिक प्रावधान

→ अन्तर्राज्यीय परिषद का प्रावधान (अनुच्छेद 263)

→ अन्तर्राज्यीय वाणिज्यक आयोग का प्रावधान (अनुच्छेद 307) जिसका निर्माण अभी तक हुआ नहीं है।

→ संघ व राज्य के द्वारा कार्यपालिकीय शक्तियों में सहयोग।

→ संघ के द्वारा राज्यों को दिया जा रहा वित्तीय अनुदान (275, 282

(e) राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय एकता परिषद

क्षेत्रीय परिषदें

पूर्वोत्तर परिषद

राष्ट्रीय एकता परिषद -

भारत में संघ और राज्यों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया है जिसमें राष्ट्रीय एकता परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है इसकी स्थापना नेहरु के द्वारा 1961 में हुयी इसका उद्देश्य भारत को विभाजित करने वाली सांप्रदायिक जातिगत, धार्मिक, और भाषायी समस्यांओं का समाधान करना

पुर्नगठन -

इसका पुनर्गठन 2005 में किया गया और 2013 में नयी दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया

संरचना -

प्रधानमन्त्री व 14 कैबिनेट मन्त्री भी, सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री और प्रशासक, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के नेता, अल्पसंख्यक, महिला, मानवाधिकार व अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष प्रसिद्ध मीडियाकर्मी व्यवसायिकों के प्रतिनिधि, महिलाओं के, श्रमिकों के प्रतिनिधि व विशिष्ट प्रतिनिधि (लगभग 300)

- यद्यपि संख्या अधिक है व सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व
बैठक निश्चित नहीं प्रायः कोई निष्कर्ष नहीं
औपचारिक स्वरूप अधिक व्यावहारिक प्रयोग कम

राज्यों की स्वायत्तता

→ भारतीय संघीय व्यवस्था में स्वायत्तता का अभिप्राय बताइए और स्वायत्तता राष्ट्रीय एकता अखण्डता के विरुद्ध नहीं है टिप्पणी कीजिए

स्वायत्तता का अभिप्राय

भारतीय समाज विविधतापूर्ण एवं बहुलवादी है इसलिए राज्यों की स्वायत्तता की मांग स्वाभाविक है। स्वायत्तता का आशय है कि राज्यों के द्वारा विशेष वित्तीय सहायता की मांग करना अथवा अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की मांग करना। स्वायत्तता की मांग क्षेत्रवाद का ही पर्याय है। स्वायत्तता विघटनकारी प्रवृत्ति नहीं है यह व्यवस्था में रहकर क्षेत्र के लिए विशेष मांग करना है।

संविधान में स्वायत्तता के रूप

→ संघीय व्यवस्था स्वयं
→ नये राज्यों की मांग (तेलंगाना etc)
→ आर्थिक सहायता की मांग / विशेष दर्जे की मांग
→ भाषायी व सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने की मांग / भूमिपुत्र आन्दोलन

उग्रराष्ट्रवाद / विघटन

→ संघ शासन के द्वारा राज्यों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप को रोकना

[5 वीं 6ठी अनुसूची, J/K के लिए विशेष प्रावधान

क्षेत्रीय परिषदें – स्वायत्तता के रूप]

1961 से पहले राज्य व केन्द्र के मध्य मतभेद व्यवहार में कांग्रेस के मतभेद थे 1967 से राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारें

राज्यों में क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के कारण स्वायत्तता की मांग उठी

1990 के बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका संघ सरकार तक पहुंच गयी अर्थात गुणात्मक परिवर्तन

→ DMK – राजमन्नार आयोग

अकाली दल

मुद्दे –

Art 356 को हटाना

Art 200

अखिल भारतीय सेवाओं को हटाना

केन्द्रीय योजना आयोग

CRPF की तैनाती

दूरदर्शन / आकाशवाणी → केन्द्र सरकार का विषय इस पर राज्यों को मौका नहीं मिला

वर्तमान मुद्दे

→ NCTC (IB, CRPF);
→ खाद्य सुरक्षा विधेयक
→ लोकपाल की नियुक्ति का मामला

समाधान –

सरकारिया कमीशन

→ भारत में शक्तिशाली संघीय सरकार आवश्यक है और संघ का शक्तिशाली होना राज्यों की स्वायत्तता का विरोधी नहीं है।
[उपर्युक्त वर्णित विवादग्रस्त मुद्दों को यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव]

→ आयोग ने राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन किया और वित्तीय स्वायत्तता का विशेष रूप में समर्थन किया

→ राज्यपाल विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए स्थानीय राजनीति से जुड़ा न हो
क्षेत्रीय परिषदें
सभी करों का बटवारा

→ आयोग ने कहा कि राज्यों की स्वायत्तता के लिए

संविधान में किसी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है बल्कि राजनीतिक परिपाटियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

पुंछी आयोग
स्थानीय आपात काल
राज्यपाल को हटाना – विधानमण्डल द्वारा
'राज्यपाल अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे

राज्यों को प्राप्त स्वायत्ता

→ 80वें संविधान संशोधन के बाद सभी केन्द्रीय करों का विभाजन राज्यों के साथ किया जा रहा है।

→ गठबंधन सरकारों के दौर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग लगभग समाप्त हो गया है।

→ उच्चतम न्यायालय ने बोम्मई वाद में यह स्पष्ट कहा कि यदि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है तो भंग विधानसभा को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है

केन्द्र व राज्य के मध्य विवाद राजनीतिक थे जिनका समाधान गठबंधन सरकारों के राजनीतिक समाधान द्वारा

केन्द्रीय योजना आयोग राज्यों का विरोधी है -

भारत में योजना आयोग द्वारा समूचे भारत के लिए योजना का निर्माण किया जाता है जिसमे राज्य सूची के विषय भी शामिल है अतः योजना आयोग के द्वारा संविधान में वर्णित शक्ति विभाजन का उल्लंघन होता है।

योजना आयोग के द्वारा राज्यों को वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है। जो वित्त आयोग की भूमिका का उल्लंघन करता है क्योंकि संविधान में अनुदान प्रदान करने का अधिकार वित्त आयोग को दिया गया है।

प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि योजना आयोग राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और राज्यों की स्वायत्तता के प्रतिकूल है। परंतु योजना आयोग की नीतियों को NDC द्वारा मंजूरी दी जाती है जिसमें सभी राज्य सम्मिलित होते हैं, इसमे राज्यों की सहमति ली जाती है।

भारत में क्षेत्रीय विषमता अभी भी व्यापक है इसकी समाप्ति के लिए केन्द्रीय योजना आवश्यक है।

योजना आयोग एक विशेषज्ञ संस्था है जिसके द्वारा देश के समूचे भौतिक व मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है। इसलिए यह उपयोगी संस्था है।

योजना आयोग संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं है यद्यपि कभी कभी योजना आयोग का दुरुपयोग किया गया, जिसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और वर्तमान समय में योजना आयोग व वित्त आयोग को एकीकृत करने का समर्थन किया जा रहा है।

नदीजलविवाद -

संविधान का प्रावधान — संसदीय अधिनियम २००४ में परिवर्तन — समाधान

संविधान के अनुच्छेद २६२ में यह कहा गया है कि भारत में नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए संसद किसी विधि का निर्माण कर सकती है और इसे न्यायिक पुनरावलोकन से भी बाहर रख सकती है।

→ अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956

→ नदी घाटी अधिनियम 1956

इस अधिनियम के अनुसार जल विवाद की स्थिति में राज्य के द्वारा संघ सरकार से न्यायाधिकरण की स्थापना का अनुरोध किया जायेगा। उसके बाद संघ सरकार के द्वारा न्यायाधिकरण की स्थापना होगी लेकिन इसके लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। 2008 में इस अधिनियम में परिवर्तन किया (अन्तर्राज्यीय जल विवाद Act) गया और यह कहा गया कि संघ सरकार के द्वारा एक वर्ष की अवधि में न्यायाधिकरण की स्थापना की जायेगी और तीन वर्ष की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण को अपना निर्णय देना होगा

समाधान —

> जल विवादों के कारण भारत में अनेक परियोजनाऐं लंबित होती है और राज्यों के बीच संघर्ष भी बढ़ता है इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि जल के मुद्दे को समवर्ती सूची में शामिल कर (राज्य से हटाकर) दिया जाये।

विशेष राज्य का दर्जा

→ विशेष राज्य के दर्जे का निर्माण कब

→ वित्त आयोग द्वारा 1969 में गाडगिल फारमूला के द्वारा तीन ~~विशेष राज्यों~~ को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया जिसमे असम नागालैण्ड व जम्मु कश्मीर थे। बाद में इसमे अरुणाचल प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, मणिपुर मेघालय मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा व उत्तराखण्ड को भी शामिल कर दिया गया।

विशेष दर्जे का आधार—

→ पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र

→ कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी की बहुलता

→ पड़ोसी देशों की सीमा पर सामरिक अवस्थिति

→ आर्थिक और आधारभूत संरचनाओं का पिछड़ापन

→ राज्य की वित्तीय स्थिति का खराब होना

लाभ—

→ संघ के द्वारा आर्थिक सहायता में वरीयता दी जाती है

और करों की छूट का लाभ मिलता है

→ उत्पाद शुल्क में छूट मिलती है जिससे उस राज्य में निवेश बढ़ता है।

→ ऋण भी माफ कर दिये जाते है।

→ भारतीय संघ के द्वारा दिये गये राज्यों की कुल सहायता में 30% भाग विशेष राज्यों को दिया जाता है।

→ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में विशेष राज्यों को 90% अनुदान व 10% ऋण दिया जाता है

नये मानक की माँग –

→ वर्ष 2013 के अपने बजट भाषण में वित्त मन्त्री चिदंबरम ने कहा कि भारत में विशेष राज्यों के लिए मानकों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए और निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए

→ राज्य की आय

→ प्रति व्यक्ति आय

→ साक्षरता व अन्य मानवीय विकास संकेतक

वर्तमान समय में बिहार और उड़ीसा मानवीय विकास के संकेतकों में अत्यधिक पिछड़े है व

और विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। और अब इन राज्यों का विशेष दर्जा मिलने की संभावना प्रबल हो गयी है।

भारत में छोटे राज्यों की मांग

→ राज्य के निर्माण का संविधान का प्रभाव
⇒ छोटे राज्यों के निर्माण का आधार
[फजल अली कमीशन
→ पक्ष में तर्क
→ विपक्ष में तर्क
→ निष्कर्ष

भारत में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नये राज्यों के निर्माण की शक्ति संघ सरकार को प्रदान की गयी है। सामान्यतया संघ सरकार के द्वारा राज्य निर्माण से पहले

संबंधित राज्यों से परामर्श किया जाता है लेकिन राज्यों की राय संघ पर बाध्यकारी नहीं है। और नये राज्य निर्माण के लिए संसद में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है।

छोटे राज्यों के निर्माण का आधार (फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर)

→ बड़े राज्यों का विभाजन

→ प्रशासनिक कुशलता

→ योजना का बेहतर क्रियान्वन

→ राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता

(1963 में निर्मित नागालैण्ड में यह आधार नहीं था)

छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क –

→ छोटे राज्य का निर्माण लोकतन्त्र के निकट है

→ इसमें प्रशासन बेहतर रूप से संचालित होता है

→ भारत में उत्तरप्रदेश, बिहार MP देश के गरीब राज्य हैं पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ~~मध्य~~ हिमांचल, गोवा ये धनी सम्पन्न राज्यों में है।

→ छोटे राज्यों का होना भारत की भौगोलिक विविधता के अनुरूप है

→ विभाजन के बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड के विकास की दर में वृद्धि हुयी

विपक्ष में तर्क –

→ एक छोटे राज्य की मांग के बाद तुरंत दूसरे छोटे राज्य की मांग के बाद दूसरे राज्य के लिए मांग आ जाती है।

→ वर्तमान समय में भारत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना बड़ी चुनौती है और राज्यों के निर्माण में अधिक पैसा खर्च होता है।

→ छोटे राज्य के बजाय पंचायती राज का विकास किया जाना चाहिए।

→ छोटा राज्य होना विकास की गारंटी नहीं है अन्यथा पुर्वोत्तर के राज्य सबसे विकसित होते।

→ राज्य का निर्माण अंतिम विकल्प होना चाहिए।

अगर छोटे राज्यों की मांग मूलतः राजनीतिक आधार पर है तब इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। छोटे राज्य का निर्माण प्रशासनिक

कुशलता के हित में किया जा सकता है। इसके लिए एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ~~सच्य~~

→ भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 संघवाद की भावना के प्रतिकूल हैं टिप्पणी कीजिए

अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किसी भी राज्य को संघ में प्रवेश दिया जा सकता है
अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत किसी भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है
भारतीय संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है जो संघवाद के प्रतिकूल है
लेकिन वास्तव में यह संघवाद के प्रतिकूल नहीं है

- → अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संघ के द्वारा किसी भी राज्य को संघ में प्रवेश दिया जा सकता है लेकिन उस राज्य को 7वीं अनुसूची में वर्णित सभी शक्तियां प्राप्त होगी इसलिए वह संघ पर निर्भर नहीं रहता।

अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत नये राज्य का निर्माण किया जा सकता है लेकिन सभी राज्यों को मूलभूत

शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। संघ सरकार से नहीं।

भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसलिए भारतीय संघ को, संघ का मुनियनवादी माडल कहा जाता है और इसकी तुलना अमेरिका से करना ठीक नहीं है।

न्यायपालिका, अन्तर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, संसदीय अधिनियम द्वारा केन्द्र व राज्यों के मध्य विवाद निपटान के लिए उपलब्ध यांत्रिक उपकरण हैं

भूमण्डलीकरण का राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव

→ दुनिया में वस्तु सेवा वित्त तकनीक का मुक्त प्रवाह

→ दुनिया भौगोलिक दूरी कम

आर्थिक नीतियां — WTO

सुरक्षा — नाटो जैसे संगठन

साइबर युग में बिना राज्यों के भूभाग में प्रवेश

(—) भूमण्डलीकरण के युग में राज्य की संप्रभुता समाप्त

नहीं हो रही है बल्कि इसकी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान युग में विभिन्न राज्यों के बीच अन्तर्निर्भरता का विकास हो रहा है। राज्य अभी भी प्राथमिक है लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनिया, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, NGO, गैरसरकारी संगठन भी शक्ति के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभर रहे हैं।

केन्द्र राज्य ~~वित्त आयोग~~ वित्तीय संबंध

आवश्यकता ≥ भारतीय संविधान में संघ व राज्य के बीच कर के ~~आरोपण~~ विभाजन का प्रावधान किया गया है

80वें संविधान संशोधन के बाद उपकर व अधिभार को छोड़कर सभी प्रकार के करों को केन्द्र व राज्यों में विभाजित किया जा रहा है।

अनुच्छेद 275 में यह लिखा है कि संघसरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान दिये जायेंगे

वित्त आयोग – संघ व राज्य के मध्य करों का विभाजन करना। यह विभाजन वर्टिकल एवं होरिजोंटल 2 प्रकार से होता है। [केन्द्र से राज्यों मिलना फिर राज्यों में विभाजन वर्तमान 33 %]

विभाजन का आधार

→ जनसंख्या — 25 %

आय — 47.5 %

क्षेत्र — 10 %

राजकोषीय प्रबन्ध — 17.5 % [अर्थव्यवस्था, कर प्रशासन बेहतर, राजकोषीय प्रबंधन]

[पैसा बड़े राज्यों से आता है व छोटे राज्यों को जाता है जो शक्तिशाली संघ के कारण ही संभव है)

→ वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त आयोग को सलाह दी जायेगी कि कैसे पंचायतों ~~सभा~~ व नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति किस प्रकार बेहतर बने।

→ Terms of Reference - भारतीय राष्ट्रपति, संघ की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के लिए सलाह मांग सकता है।

करूणानिधि - राजमन्नार आयोग — 75 % राज्यों को

परिसंघात्मक

Confederal - यूरोपीय यूनियन देश

भारत में राज्य सरकारों की स्थिति नगरपालिकाओं की भांति है [275, 285,

राज्य वित्तीय स्रोतों के लिए केन्द्र पर निर्भर लेकिन यह अधिक हिस्सा गरीब राज्यों के लिए

वित्त आयोग की संरचना का प्रावधान संविधान में नहीं बल्कि संसदीय अधिनियम 1951 में है।

→ अध्यक्ष – सार्वजनिक विषयों का ज्ञान
→ उच्च न्यायालय की न्यायिक योग्यता वाला व्यक्ति
→ अर्थशास्त्री
→ भारतीय सरकार के वित्तीय प्रबंध का ज्ञान हो
→ प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति

[वित्त आयोग अर्द्ध न्यायिक प्रकृति का होता है]

पूर्ण न्यायिक – IPC, CRPC | न्यायपालिका

स्थानीय स्तर पर वित्त का वितरण व पंचायतीराज

विकेन्द्रीकरण – निर्णय के अनेक केन्द्र बना देना

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण – आम लोगों की सत्ता में सहभागिता

यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, गांधी के स्वराज का आदर्श लोगों को शासन सत्ता में सहभागिता प्रदान करने का तरीका है।

भारत में पंचायती राज नया नहीं है बल्कि इसका संवैधानिक स्वरूप नया है।

73 वें संविधान संशोधन का महत्व –

(भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रभाव)

→ त्रिस्तरीय शासन – गांव → ग्रामसभा, → ग्राम पंचायत

खण्ड → खण्ड पंचायत

जनपद → जनपद पंचायत

→ कार्यकाल – 5 वर्ष

→ निर्वाचित होने की उम्र 21 वर्ष

→ राज्य वित्त आयोग का प्रावधान

→ राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान

महत्व -

→ पंचायतीराज आधारभूत लोकतन्त्र लाता है

→ लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है

→ इसके द्वारा आम लोगों को शासन में सहभागिता प्रदान की गयी है। जिससे भारत में लोकतंत्र का विस्तार हुआ।

→ पंचायती राज के द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन संभव हुआ

तथ्य

पंचायतीराज केवल लोकतांत्रीकरण नहीं बल्कि सामाजिक न्याय लाने का बड़ा माध्यम बन चुका है। S.C., S.T., महिलाओं को आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होगा।

→ पंचायतीराज ग्रामीण विकास का माध्यम बन चुका है।

आज के सूचना अधिकारों के युग में और गैर सरकारी संगठनों के युग मे पंचायती राज्य की भूमिका और प्रभावकारी बन रही है।

→ सूचना के अधिकार के युग में पंचायती राज और प्रभावी बन कर उभर रहा है। टिप्पणी कीजिए।

→ पंचायती राज का अभिप्राय

→ सूचना के अधिकार के अंतर्गत पंचायतों से ग्रामीण विकास के लिए खर्च किये जाने वाले पैसे का हिसाब किताब मांगा गया

→ सूचना के अधिकार के द्वारा नौकरशाही के कार्यकरण में पारदर्शिता स्थापित हुयी और ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारी के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित किया गया।

→ पंचायती राज के मंच पर सोशल आडिटिंग या सामाजिक अंकेक्षण को भी अपनाया गया। इसके द्वारा आम ग्रामीण लोगों को पंचायतों के द्वारा पैसे के खर्च का विवरण दिया गया।

पंचायती राज के युग में सिविल सेवकों की भूमिका में परिवर्तन आया है टिप्पणी कीजिए।

DRDA, District Planing Committe

→ पंचायतीराज के प्रयोग से भारत में नौकरशाही की भूमिका में परिवर्तन आया है।

→ ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण में अब जन प्रतिनिधियों का महत्व अत्यधिक बढ़ चुका है।

→ पंचायती राज के द्वारा जिला नियोजन समिति की स्थापना हुयी है जिसके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को योजना और विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की गयी है और जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी की भूमिका का अवमूल्यन हुआ है

→ पंचायतीराज के युग में नौकरशाही से अनुनयात्मक सहभागी और प्रतिबद्ध अभिवृत्ति की अपेक्षा की जा रही है। जिससे दोनों का समन्वय व सामंजस्य हो सके।

→ अब नौकरशाही की भूमिका आदेशात्मक व निर्देशात्मक नहीं रही।

73वें 74वें के साझा विषय

→ वित्त आयोग
→ निर्वाचन आयोग
→ निर्वाचित होने की उम्र 21
→ कार्यकाल 5 वर्ष
→ राज्य सूची

73वें 74वें के अलग लक्षण

→ 73वाँ
→ त्रिस्तरीय पंचायत
29 विषय

→ 74वाँ
तीन प्रकार की व्यवस्था
18 विषय
जनपद नियोजन
महानगर नियोजन

पंचायती राज्य के अनिवार्य व ऐच्छिक प्रावधान

अनिवार्य प्रावधान

→ 73वें संविधान संशोधन की वे मूलभूत मान्यताएं जिनका उल्लेख संविधान में है वे अनिवार्य प्रावधान कहलाते हैं जैसे

→ वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचित होने की उम्र या कार्यकाल और अनुसूचित जातियों जनजातियों व महिलाओं के लिए किया गया आरक्षण

ऐच्छिक प्रावधान

पंचायतों को सौंपे गये 29 विषय उन्हें राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जायेंगे

पिछड़ी जातियों का आरक्षण

पंचायत के विभिन्न स्तर के अध्यक्षों के लिए किये गये आरक्षण

खण्ड पंचायत और जनपद पंचायत में सांसदों और विधायकों को मनोनीत करने की शक्ति

PESA के तहत पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है यहां पंचायतों को संसाधनों पर अधिकार

भूमि जल जंगल

पंचायतों में कमी

→ वित्त

→ २९ विषय – अभी तक पंचायतों को सौंपे नहीं किये गये

→ पंचायती राज के अपने अधिकारी नहीं है बल्कि सिविल सेवकों व राज्य सेवकों द्वारा, जो पंचायती राज के दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है।

सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रम निधि को समाप्त करके यह पैसा पंचायतों को देने का सुझाव

त्रिस्तरीय संघ है

सामान्य रूप में हाँ

नहीं है – तकनीकी तौर पर नहीं

क्योंकि पंचायती राज को विधि के निर्माण का अधिकार नहीं केवल योजनाएं बनाने क्रियान्वन का अधिकार है

→ २९ विषय पंचायतों को राज्यों ~~द्वारा~~ के समान स्वाभाविक रूप से नहीं मिले है

स्थानीय स्तर के लिए वित्त का हस्तान्तरण

पंचायतराज और स्थानीय शासन के वित्तीय स्रोत निम्नलिखित है

→ करारोपण की शक्ति

इसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों के द्वारा संपत्ति कर, पशु कर मार्केट कैश (तहबाजारी / market Tax) और टोल टैक्स और तीर्थ यात्रियों पर कर लगाने की शक्ति है

→ गैर कर स्रोत –

इसके द्वारा बस स्टैण्ड, तांगा स्टैण्ड, स्लाटर हाउस से पैसे वसूले जाते हैं

पंचायती राज और नगरपालिकाओं के प्रावधान में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है और राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच करों का वितरण किया जाता है तथा स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के बीच भी करों का वितरण किया जाता है

राज्य सरकार के द्वारा इन्हें अनुदान भी प्रदान किया जाता है जो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है

स्थानीय निकायों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के द्वारा भी पैसा प्राप्त होता है।

समस्या -

→ वर्तमान समय में स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप में शक्तिशाली बनाये जाने की माँग हो रही है। क्योंकि पंचायतों के समक्ष के मूल कारण निम्नलिखित हैं

→ संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों को कर लगाने की शक्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है और राज्य सरकार स्थानीय निकायों को कर लगाने के महत्वहीन विषय सौंपे है

→ अनेक राज्यों ने कुछ महत्वपूर्ण कर जैसे व्यवसाय पर लगने वाला कर तथा मनोरंजन कर को स्थानीय निकायों से वापस ले लिया है

→ पंचायतों के द्वारा ग्रामीण लोगों पर कर लगाने से ~~परहेज~~ किया जाता है क्योंकि लोग एक दूसरे के परिचित होते हैं।

→ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाला अनुदान अपर्याप्त, अनिश्चित और विलम्बकारी होता है

→ पंचायतों में भ्रष्टाचार [कैग का खुलासा - मनरेगा)

पंचायती राज और सोशल आडिटिंग

एकाउंटिंग- कितना पैसा खर्च किया
आडिटिंग - कैसे और कहां और कितना खर्च किया

सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत ग्राम सभा के द्वारा निर्मित मास्टर रोल और योजनाओं के लिए पैसे के खर्च और उसकी समय सीमा पर ग्राम सभा के द्वारा चर्चा होती है

→ ग्राम सभा कार्यों की गुणवत्ता और पैसे के रिकार्ड की जांच करती है। इस जांच के दौरान पंचायतों के सभी निर्वाचित सदस्य उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त पंचायतों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सभी ग्राम वासियों को सामाजिक अंकेक्षण की सूचना प्रदान की जायेगी और यह गांव की स्थानीय भाषा में होना चाहिए

→ सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत स्थानीय शासनों के कैस बुक बैंक रिकार्ड तथा वित्तीय रिकार्ड की जांच की जायेगी तथा उस पर ग्राम सभा में चर्चा होगी।

→ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पंचायतीराज में सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देने का समर्थन किया है

→

शक्ति का पृथक्करण

शक्ति के पृथक्करण का मूल अभिप्राय बताइए और क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत के संसदीय शासन में शक्ति के पृथक्करण का विचार पाया जाता है ?

Judicial overreach | न्यायिक अतिसक्रियता

→ क्या आप इस मत से सहमत हैं कि न्यायिक अति सक्रियता के द्वारा शक्ति पृथक्करण की भावना का उल्लंघन हो रहा है।

→ भारतीय संविधान में वर्णित शक्ति पृथक्करण का विचार बताइए और विवादों के हल करने के तंत्र का उल्लेख कीजिए

→ भारतीय संविधान में वर्णित शक्ति पृथक्करण, अमेरिका शक्ति पृथक्करण की संकल्पना से कैसे भिन्न है ?

शक्ति का पृथक्करण

→ यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है । अमेरिकी संविधान में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका है तीनों के अधिकार अलग

→ विधायिका → प्रतिनिधि सदन
→ सीनेट

कार्यपालिका → राष्ट्रपति – मंत्रिपरिषद

मंत्रिपरिषद का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकती विधायिका राष्ट्रपति के विपरीत अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती

[शट डाउन – शक्ति के पृथक्करण के कारण क्योंकि विधायिका में अध्यक्ष के विपरीत दल का बहुमत भी हो सकता है)

विधायिका व अध्यक्ष का स्वतंत्र निर्धारित कार्यकाल

इंग्लैण्ड

संसदीय प्रणाली (शक्तियों का संलयन)

कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से

विधायिका भंग + अविश्वास प्रस्ताव – कामन सभा (निर्वाचित) | House of land (2005 से पहले न्यायपालिका का कार्य भी करता था (सर्वोच्च न्यायपालिका

भारत

→ विधायिका ⎫ → शक्ति का संलयन
→ कार्यपालिका ⎭
→ न्यायपालिका (इंग्लैण्ड जैसी नहीं पृथक न्यायपालिका)

भारत में
सामान्य भाषा में शक्ति पृथक्करण नहीं शक्ति का विभाजन है।

भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और सरकार के तीन अंगों की शक्तियां अलग अलग निर्धारित की गयी हैं। विधायिका का कार्य विधि का निर्माण है, कार्यपालिका का कार्य विधियों का क्रियान्वन है जबकि न्यायपालिका के द्वारा विवाद सुलझाने का कार्य किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि भारतीय व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण संविधान की आधारभूत विशेषता है। अतः न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संसद को विधि निर्माण व संविधान के संशोधन की शक्ति दी गयी है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग अलग है लेकिन विधि की व्याख्या व संविधान की

अंतिम व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है इसलिए S.C. को संविधान की व्याख्या करते समय अन्य अंगों की शक्तियों को भी निर्धारित करने का अधिकार मिल जाता है

exa → भारतीय संविधान में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि सांसदों के विशेष अधिकारों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा लेकिन सांसदों के विशेष अधिकार और मूल अधिकार के बीच परस्पर विवाद की दशा में उच्चतम न्यायालय इसका पुनरावलोकन करता है

→ भारत में शक्ति का पृथक्करण दो स्तरों पर है एक कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है

सातवीं अनुसूची में संघ व राज्य में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है।

[कार्य के स्तर पर अलगाव लेकिन पदाधिकारियों के स्तर पर नहीं]

विभिन्न संविधानों से तुलना

→ अमेरिका सीनेट और भारत की राज्यसभा की शक्तियों के बीच तुलना कीजिए

→ जर्मनी में विद्यमान सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव क्या है क्या इसका भारत में प्रयोग किया जा सकता है ?

→ भारतीय संघीय शासन विश्व की किस संघीय व्यवस्था से ज्यादा प्रभावित है ? टिप्पणी कीजिए

→ भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय शासन के बीच शक्तियों की तुलना कीजिए

→ फ्रांस मे किस प्रकार संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्था का सम्मिश्रण किया गया है ? उसके लाभ बताइए

→ इंग्लैण्ड की लार्ड सभा क्या दुनिया का सबसे कमजोर ऊपरी सदन है ? भारतीय राज्य सभा पर उसके प्रभाव को बताइए

→ इंग्लैण्ड का संविधान संयोग एवं विकास का परिणाम है। टिप्पणी कीजिए

→ भारत का राष्ट्रपति इंग्लैण्ड की महारानी से शक्तिशाली परन्तु अमेरिकी राष्ट्रपति से कमजोर है चर्चा कीजिए

भारतीय संविधान बनाम अमेरिकी संविधान

भारतीय संविधान	अमेरिकी संविधान
→ विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का समन्वय (कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होंगे अविश्वास प्रस्ताव)	विधायिका व कार्यपालिका में पृथक्करण
→ दो प्रकार के कार्यपालिकीय प्रधान होते हैं - संवैधानिक व वास्तविक (इंग्लैण्ड जर्मनी भारत आस्ट्रेलिया कनाडा)	→ कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है - संवैधानिक भी वास्तविक भी
→ संसदीय शासन में शासन समूह होता है [राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी] संसदीय व्यवस्था में Pm कैबिनेट का प्रधान होता है व मंत्री Pm के समकक्ष होते हैं	→ शासन एक व्यक्ति का। अध्यक्षीय शासन में मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है
→ मंत्री सामान्यज्ञ होते हैं → राष्ट्रपति को सदन भंग करने का अधिकार	→ मंत्री सामान्यतः विशेषज्ञ होते हैं उनका काम केवल मन्त्रालय देखना होता है संसदीय क्षेत्र नहीं
→ सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित	→ अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है

कमी
→ शासन का अस्थायी होना
→ विशेषज्ञता का अभाव

→ स्थायित्व विशेषज्ञता :
→ शक्ति का केन्द्रीकरण
→ उत्तरदायित्व तुलनात्मक रूप में कम
→ विविधता का बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं

फ्रांसीसी शासन प्रणाली – (अर्द्ध अध्यक्षीय)

अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लक्षण –
→ राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे।
→ फ्रांस का राष्ट्रपति आम जनता के द्वारा सीधे 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है

Run off System –
→ राष्ट्रपति के द्वारा देश की नीतियों का निर्धारण होता है राष्ट्रपति ही देश की सुरक्षा और विदेश नीति का भी निर्धारण करता है।
→ राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है

अमेरिकी जनता पहले निर्वाचक मंडल → फिर निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है

संसदीय व्यवस्था के लक्षण -

→ राष्ट्रपति के द्वारा विधायिका के निचले सदन को भंग किया जा सकता है।

→ राष्ट्रीय विधायिका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है [मंत्रिपरिषद यहां राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं अधीनस्थ]

→ संसदीय व्यवस्था की भांति फ्रांस में भी मंत्रियों को सदन में बैठना पड़ता है और प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है।

→ ~~राष्ट्रपति का राष्ट्रीय~~
मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते लेकिन विधायिका ~~सभा~~ के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

जर्मनी की सकारात्मक अविश्वास प्रणाली -

→ जर्मनी में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जर्मनी के विधायिका में दो सदन है -

- बुन्डेसरैट
- बुन्डेसटैग

बुन्डेसटैग, जर्मनी की विधायिका निम्न सदन है, बुन्डेसटैग के सदस्यों के निर्वाचन के लिए दो प्रकार की चुनाव प्रणाली का प्रयोग होता है, आधे सदस्य first Pass

the post system के द्वारा निर्वाचित होते हैं अधिक आधे: लिस्ट सिस्टम से —

[लिस्ट सिस्टम - प्रत्येक पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उतने प्रतिशत सदन में भागीदारी]

→ जर्मनी में लिस्ट सिस्टम के उपयोग कारण सामान्यत: गठबंधन सरकारें बनती हैं और जर्मनी में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले विपक्षी दल को वैकल्पिक सरकार निर्माण का प्रारूप प्रस्तुत करना अनिवार्य है

[2000 में गठित वेंकट चलैया आयोग ने इसे भारत में अपनाने की सलाह दी थी] [सकारात्मक विश्वास प्रस्ताव

अमेरिकी सीनेट से भारतीय राज्य सभा की तुलना

अमेरिका → सीनेट (ऊपरी सदन)
अमेरिका → House of Representative (निम्न सदन)

→ अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है

कारण → अमेरिकी सीनेट को धन विधेयक में संशोधन की पूर्ण शक्तियां हैं

→ राष्ट्रपति के द्वारा संघीय नियुक्तियों में सीनेट का समर्थन लिया जाता है।

सीनेट का शिष्टाचार – सीनेट की अनुमति के साथ साथ राज्य विशेष के सीनेटरों की अनुमति आवश्यक, उस राज्य मे संघीय नियुक्ति में।

→ अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी राज्यों के साथ सन्धि करने की शक्ति है परन्तु इसे सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित होना चाहिए

→ सीनेटर का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और वह सीधे आम लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं

→ अमेरिकी सीनेट में राज्यों की समानता का सिद्धान्त अपनाया गया है क्योंकि प्रत्येक राज्य का ~~लोक~~ दो प्रतिनिधि होते हैं [चुनाव आम जनता द्वारा]

[सबसे उच्च कमजोर निम्न सदन – अमेरिका]

इंग्लैण्ड का House of lord / उच्च सदन

→ हाउस आफ लार्ड, इंग्लैण्ड की संसदीय व्यवस्था का उच्च सदन [उच्च सदन की परंपरा – इंग्लैण्ड से] है

→ लार्ड सभा, निर्वाचित सदस्यों की संस्था नहीं बल्कि मनोनीत सदस्यों की संस्था है, जिसमे आजीवन लार्ड वंशानुगत लार्ड, विधि लार्ड, को सम्मिलित किया जाता है

यद्यपि वर्तमान समय में इंग्लैण्ड के उच्चतम न्यायालय को लार्ड सभा से अलग कर दिया गया। इसलिए विधि लार्ड का प्रावधान समाप्त हो गया।

→ 2002 के संशोधन के बाद वंशानुगत लार्ड का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया

→ लार्ड सभा केवल विलम्बकारी सदन है क्योंकि किसी सामान्य विधेयक को लार्ड सभा एक वर्ष तक रोक सकती है जबकि धन विधेयक को लार्ड सभा केवल 30 दिन तक रोक सकती है

[राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन - लार्ड सभा से प्रेरित]

→ परंपरा के अनुसार लार्ड सभा का सदस्य इंग्लैण्ड का PM नहीं बन सकता

इंग्लैण्ड का स्पीकर / हाउस आफ कामन्स का स्पीकर

→ महारानी के साथ मन्त्री का भी हस्ताक्षर अतः मंत्री अपने कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी

→ इंग्लैण्ड ~~का~~ मकाम में हाउस आफ कामन्स के स्पीकर को अत्यधिक महत्व दिया जाता है

→ स्पीकर किसी भी दल का सदस्य नहीं होता बल्कि

तटस्थ व निष्पक्ष होता है। और यदि स्पीकर किसी दल का सदस्य है तो वह सदस्यता का परित्याग कर देता है
→ इंग्लैण्ड में कहावत है एक बार का स्पीकर, सदा के लिए स्पीकर क्योंकि चुनाव में स्पीकर को निर्विरोध निर्वाचित कराने का प्रावधान है।

अमेरिकी संघीय शासन की भारतीय संघीय शासन से तुलना

अमेरिका दुनिया का क्लासिकल फेडरल सिस्टम माना जाता है।

→ अमेरिका की विभिन्न इकाइयों ने आपसी समझौते के द्वारा संघ शासन का निर्माण किया अर्थात इकाइयां पहले से थीं संघ बाद में आया

→ क्योंकि इकाइयों से संघ का निर्माण हुआ था अतः इकाइयों ~~ने संघ को~~ के द्वारा संघ की शक्तियों का निर्धारण किया गया।

→ अतः अमेरिका में प्रान्त संघ की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यहां संघ सूची का उल्लेख है अन्य सभी सूचियां राज्यों की है अवशिष्ट शक्तियां भी राज्यों को

राज्यों के शक्तिशाली होने का कारण

→ अमेरिकी व्यवस्था में राज्यों का अपना संविधान है

→ राज्य का राज्यपाल अमेरिकी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है।

→ प्रत्येक राज्य का अलग-अलग निर्वाचन आयोग व न्यायालय है

→ राज्यों की सहमति के बिना राज्य का नाम भूभाग व आकार बदला नहीं जा सकता।

→ दोहरी नागरिकता → राज्य की व संघ की

→ दो प्रकार की सेवा → संघ सेवा
→ राज्य सेवा, अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान नहीं

→ संघीय न्यायालय – केवल संघीय विवादों को हल करने ~~की शक्ति~~

→ संविधान संशोधन – विधायिका का 2/3 बहुमत, 3/4 राज्यों का समर्थन

अनुबद्ध न्यायालय → सर्किट कोर्ट → S.C.

कनाडा का संघ / संघ का यूनियन वादी मॉडल

→ कनाडाई संघ को संघ का यूनियनवादी मॉडल कहा जाता है।

→ एक ही केन्द्रीय सरकार के द्वारा अनेक इकाईयों का निर्माण किया गया और संविधान से इकाईयों को स्वायत्त शक्ति प्रदान कर दी गयी।

→ कनाडा में इकाईयां कमजोर है क्योंकि संघ द्वारा इकाईयों का निर्माण किया गया है।

कनाडा के संघीय शासन की विशेषताएं

→ कनाडा के उच्च सदन सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं होता बल्कि राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार निर्धारित किया गया है जैसा कि भारत में।

→ कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार के पास हैं।

→ राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होती है

→ राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्य की किसी विधि को संघ सरकार की राय के लिए आरक्षित कर सकता है।

→ समवर्ती सूची पर विधि निर्माण संघ सरकार को प्राथमिकता है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने

के लिए संघ सरकार, राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकता है।

→ राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर संघ के द्वारा राज्य सूची पर विधि का निर्माण किया जा सकता है।

तीनों में समानता (USA - कनाडा - India)

तीनों के संघीय शासन में -

→ शक्तियों का विभाजन

→ लिखित व सर्वोच्च संविधान

→ स्वतन्त्र न्यायपालिका

सीनेट (100) + प्रतिनिधि सभा (438

महाभियोग –

आधार, प्रक्रिया,

↳ भ्रष्टाचार के आरोप, देशद्रोह, संविधान का उल्लंघन के आधार पर (केवल संविधान का उल्लंघन)

प्रक्रिया –

→ महाभियोग प्रतिनिधि सदन में ही आरंभ होगा (भारत में किसी भी सदन में)

→ वहाँ सीनेट सुनवाई का कार्य करती है

→ सीनेट में राष्ट्रपति को आरोपों के विरुद्ध सफाई देने का अधिकार होगा।

→ जिस समय राष्ट्रपति के विरुद्ध सीनेट में सुनवाई होती है तो सीनेट की अध्यक्षता संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है।

→ दोनों सदनों में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होते हैं तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा

अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जेक्सन, बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया

भारत

आधार – संविधान का उल्लंघन

प्रक्रिया – किसी भी सदन में लाया जा सकता है

→ उस सदन के 1/4 सदस्य स्पीकर या सभापति

से ऐसी मांग करें । 14 दिन पहले यह नोटिस राष्ट्रपति को प्रेषित की जानी चाहिए
भारत में महाभियोग अभी तक नहीं लाया गया है।

अमेरिका व भारत की न्यायिक प्रणाली

राष्ट्रपति

सेनाप्रमुख – सेना संचालन का अधिकार
युद्ध की घोषणा का अधिकार नहीं,
वीटो प्रयोग, क्षमादान की शक्ति, कार्यपालिकीय शक्ति लेकिन विधायी शक्ति नहीं है
लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है उनका प्रयोग वही करता है, कार्यकाल का स्थायित्व
सबसे बड़ा नीति निर्माता व संविधान प्रमुख
लेकिन सीनेट का नियन्त्रण विभिन्न अनुमति लेने में

→ दोहरी न्यायपालिका अर्थात संघ व राज्य की अलग अलग न्यायपालिका
→ न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान में प्रावधान नहीं है
→ विधि की उचित प्रक्रिया की न्यायप्रणाली
→ न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त न्यायपालिका द्वारा निर्मित है जो न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धान्त बन गया है। [मारबरी बनाम मेडिसन केस में]

शक्तियों का विकेन्द्रीकरण - शासन को सीमित करने व व्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्थापित करने के लिए

सामान्यत: न्यायपालिका कानून के अवैध होने की जांच करती है लेकिन अमेरिका की न्यायपालिका कानून के अतार्किक होने के आधार पर भी खारिज

अमेरिका में न्यायपालिका को तीसरा सदन कहा जाता है क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा कहा गया कि विधि उचित व तार्किक होनी चाहिए

अविधिक - राज्य के विषयों पर विधि निर्माण

उचित प्रक्रिया - अर्थात विधि कैसी होनी चाहिए
- जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर कार्य करती है।

न्यायिक पुनरावलोकन -

भारतीय न्यायपालिका

→ एकहरी न्यायपालिका

→ न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष रूप में प्रदान (13(2)) किया गया है। अर्थात विधायिका के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता जो मूल अधिकारों के विरोध में हो

→ न्यायिक पुनरावलोकन परोक्ष –
क्योंकि भारतीय भारतीय संविधान में शासन के सभी अंगों पर प्रतिबन्ध [जल विवाद, वित्त आयोग न्यायपालिकीय शक्ति से बाहर]

→ विधि की उचित प्रक्रिया के बजाय विधि की स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान – विधायिका का कार्य विधि निर्माण है जबकि वि न्यायपालिका का कार्य यह देखना है कि कानून ~~विधि~~ संविधान के अनुसार है या नहीं लेकिन यह कानून के औचित्य का परीक्षण नहीं कर सकती यह मात्र यह देख सकती है कि विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर विधि का निर्माण न करे। [विधि सही है या गलत यह देखना नहीं] गोपालन वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन, मेनका गांधी वाद में भारतीय न्यायपालिका ने भी विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धान्त को मान लिया था। अर्थात संवैधानिकता के साथ औचित्य परीक्षण भी)

→ भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है क्योंकि न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त के विपरीत है।

अमेरिका स्विटजरलैण्ड
आस्ट्रेलिया

China का संविधान

संविधान मे सरकार की शक्तियों का उल्लेख होता है

- कार्यपालिका
- विधायिका
- न्यायपालिका

प्रकार्यात्मक आधार पर विभाजन

- अध्यक्षीय
  - USA फ्रांस
  - S.Africa, Shrilanka
- संसदीय
  - इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा
  - जर्मनी भारत

भौगोलिक आधार पर विभाजन

- संघीय शासन प्रणाली
  - (A) USA, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड
  - (B) भारत, कनाडा, जर्मनी, S. Africa
- एकात्मक
  - इंग्लैण्ड फ्रांस, श्री लंका

स्विटजरलैण्ड – (प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक) संसदीय :
स्विटजरलैण्ड के शासन में अध्यक्षीय व ~~संसदीय~~ दोनों व्यवस्थाओं का उल्लेख है। स्विटजरलैण्ड में बहुल कार्यपालिका का प्रावधान है जिसका अभिप्राय है कि 7 व्यक्ति एक स्थान मिलकर शासन संचालन करते हैं और उनमें से एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन जाता है।

[लिस्ट सिस्टम – गठबंधन सरकार ही सदैव]

न्यायिक पुनरावलोकन नहीं – क्योंकि विधायिका द्वारा निर्मित कानून का आम जनता पुनरावलोकन करती है।

→ आरम्भक (initiative)

→ प्रत्यावाहन (Recall)

→ जनमत (Refrendem)

→ जनमत संग्रह (Plebesite)

आरम्भक – विधि के निर्माण की पहले आम जनता द्वारा उसके अनुसार विधायिका विधि का निर्माण करती है

[e- गवर्नेंस प्रभावी]

[भारत जैसा वहां विरोध नहीं लोकपाल]

प्रत्यावाहन - किसी निर्वाचित राजनेता अथवा अधिकारी को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले वापस बुला लेना

जनमत - सरकार के द्वारा निर्मित किसी विधि पर आम जनता की राय लेना

जनमत संग्रह -

कि राजनीतिक अल्पसंख्यकों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आम जनता की राय जानना

[ये सब प्रतिनिधि वादी लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र बनाने का माध्यम]

प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणाली - लोकतंत्र का आधार

चीन का संविधान

एकदलीय प्रणाली

→ साम्यवादी देशों की शासन प्रणाली में एकदलीय व्यवस्था को माना जाता है [तर्क - समाज का हित एक से ज्यादा नहीं है तो एक से ज्यादा दल क्यों?]

→ दल में अति केन्द्रीय अनुशासन

सरकार

↑

दल

↓

आम जनता

साम्यवादी दल

समूचे सत्ता का केन्द्र

(आम की समानता

(आर्थिक लोकतंत्र

(लोकतांत्रिक देशों में) [वोटिंग आइ कार्ड की समानता)

(राजनीतिक लोकतंत्र)

अध्यक्ष

⇑

स्टैंडिंग कमेटी (7)

↑

पोलित ब्यूरो (23)

} दोनों द्वारा

↑

सेंट्रल कमेटी (300)

↑

आम कार्यकर्ता

पोलित ब्यूरो व अध्यक्ष सरकार की शक्तियां तय करते है

आमके लोगों की प्रणाली — बिल्कुल भिन्न

पार्टी तय करेगी कि राष्ट्रपति, जनवादी कांग्रेस, न्यायपालिका, केन्द्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है

शक्ति के पृथक्करण का यहां विचार नहीं

चीन में सेना भी साम्यवाद का पालन, सिविल सेवक भी साम्यवादी

कार्यपालिका – क्षेत्रीय राज्य परिषद

इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य [इन सबका निर्वाचन जनवादी कांग्रेस, जो यहां की विधायिका है, करती है।

[भूमि अभी भी लीज पर]

जनवादी कांग्रेस – 5000 सदस्य / 5 वर्ष में एक बार बैठक

जनवादी कांग्रेस एक स्टैंडिंग कमेटी का निर्वाचन करती है संख्या (300 लगभग) जो पुरे वर्ष विधि निर्माण करती है

→ अप्रत्यक्ष ~~निर्वाचन~~ नियुक्ति, आम जनता स्थानीय प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है अन्य अप्रत्यक्ष

(अर्थव्यवस्था उदार जबकि राजनीति व्यवस्था पूर्व की भांति कठोर)

इंग्लैण्ड में विकेन्द्रीकरण (Devolution)

इंग्लैण्ड में संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धान्त पाया जाता है। शासन प्रणाली एकात्मक है। जिसका अभिप्राय है, इकाईयों को प्राप्त शक्तियां स्वायत्त नहीं होती बल्कि केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होती हैं। वर्ष 2000 के बाद इंग्लैण्ड में भी विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वेल्स और स्काटलैण्ड में नयी विधायिकाओं का निर्माण किया गया है जिनके द्वारा इन क्षेत्रों के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। Devolution का विचार विकेन्द्रीकरण से ज्यादा व्यापक है, क्योंकि Devolution में विधायी एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होता है

संसद के विशेषाधिकार व इससे उत्पन्न होने वाले विषय

- → विशेषाधिकार का अभिप्राय
- → संविधान में विशेषाधिकार का उल्लेख कहां
- → ~~संवि~~ संसदीय प्रावधान, परंपरा के आधार पर
- → क्या विशेषाधिकारों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है
- → ~~क्या विशेषाधिकारों~~ को स्पष्ट किया जा सकता है
- → संसदीय विशेषाधिकारों को लेकर विधायिका व न्यायपालिका में होने वाले विवाद

विशेषाधिकार -

→ हमारे यहां सांसदों को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आम नागरिकों को नहीं है।

→ नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार 19(1) A ---19(1)(a) पर निर्बन्धन है लेकिन सांसदों की वाक व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है (संसद में)

→ सांसदों को यह विशेषाधिकार उन्हें संसदीय दायित्वों के बेहतर निर्वहन के लिए दिये गये हैं

संविधान (105, 193 (विधायकों)

सांसदों व विधायकों दोनों को समान विशेषाधिकार व संविधान में विशेषाधिकार का अत्यंत संक्षिप्त उल्लेख है

→ सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। कि ये सदन में कही गयी किसी बात के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे

अन्य विशेषाधिकारों का उल्लेख लोकसभा के नियमों में

व्यक्तिगत

→ सदन की कार्यवाही के प्रारंभ के 40 दिन पहले किसी भी विधायक को सिविल मामले में हिरासत में नहीं लिए जा सकते। संसदीय समितियां

→ सांसद को न्यायपालिका के समक्ष गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता

सामूहिक

→ सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण स्पीकर द्वारा किया जायेगा

→ सदन की कार्यवाही देख रहे किसी व्यक्ति को दर्शक दीर्घा से तत्काल हटाया जा सकता है

→ सदन की किसी कार्यवाही को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

→ संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन पर संसद को दण्ड देने की भी शक्ति है

न्यायिक पुनरावलोकन –

(संविधान में) (समस्या)

संसदीय विशेषाधिकारों व संसदीय प्रक्रियाओं का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा

समस्या –

जब संसदीय विशेषाधिकार व मूल अधिकार के बीच आपस में टकराहट हो तो

Art (105)	Art 19(1) A
अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं	अभिव्यक्ति पर निबन्धन (केशव सिंह प्रकार)
मीडिया से गतिरोध	

→ न्यायपालिका की व्याख्या –

→ जब व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व संसदीय विशेषाधिकारों के बीच विरोध उत्पन्न हो जाये तब संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात संसदीय विशेषाधिकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

→ न्यायपालिका के अनुसार जब संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच विरोध हो जाये तो जीवन

के अधिकार को प्राथमिकता दी जायेगी। और न्यायपालिका का कार्य जीवन के अधिकार की रक्षा की जायेगी।
भारतीय संविधान लिखित संविधान है जहां संसदीय विशेषाधिकारों के साथ न्यायिक पुनरावलोकन का भी प्रावधान है।

(सोमनाथ चटर्जी) [राजस्थान विधानसभा]

[भारत में इंग्लैण्ड जैसी विशेषाधिकार व्यवस्था नहीं क्योंकि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं]

झारखण्ड — बहुमत साबित करने की रिकार्डिंग न्यायपालिका को भेजना

संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता

भारत में संसदीय विशेषाधिकार अपरिभाषित है

→ संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति संसद में निहित है। इनको संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है

जिससे भविष्य के विवादों को रोका जा सके।

→ भारत में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन की भांति नहीं हो सकते

क्योंकि भारत में लिखित संविधान है और शासन के प्रत्येक अंग पर निश्चित प्रतिबन्ध भी आरोपित है
एक लोकतांत्रिक देश में संसदीय विशेषाधिकार आवश्यक है परन्तु मूल अधिकारों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता.

भारत में संसद की संरचना बताइए और उसके कार्यों को भी स्पष्ट कीजिए

→ संविधान में संसद की संरचना का किस प्रकार उल्लेख है
भारतीय में संसदीय शासन की प्रणाली है और भारत में संसद का निर्माण लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर होता है और संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है जबकि राज्य सभा के 250 हैं (4थी अनुसूची में)

→ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में उल्लेख है कि किस राज्य को कितनी सीटें लोकसभा में दी गयी हैं। यह परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित होता है। परिसीमन आयोग की सहायता चुनाव आयोग करता है

*[2002 कुलदीप सिंह कमीशन की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग जनसंख्या के अनुपात आधार लोकसभा की सीटें का बंटवारा होता है। लेकिन इसमें सीटों का adjustment हुआ]

→ संसद के कार्य

→ आम जनता की भावनाओं इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना अर्थात जनमत को व्यक्त करना

→ विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था

→ लोकतांत्रिक कार्यपालिका पर नियन्त्रण, वित्तीय रूप में प्रश्न पूछ कर प्रस्ताव लाकर

→ सूचना का सबसे बड़ा अंग [यदि संसद कार्यवाही चल रही हो तो सरकार को सूचना सर्वप्रथम संसद को देनी होती है।

→ विभिन्न नियुक्तियां

संसद की 60 वर्ष की उपलब्धियां -

सकारात्मक बिन्दु -

भारतीय संसद में ग्रामीण छोटे किसानों की संख्या में वृद्धि हुयी तथा वकीलों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधित्व का ह्रास हुआ

संसद में पिछड़ी जाति के लोगों और अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय का प्रभाव बढ़ा

→ 1993 में विभागीय समितियों की स्थापना के द्वारा संसद के कार्यपालिका पर नियन्त्रण को बेहतर बनाया गया।

→ वर्तमान गठबंधन सरकारों के दौर में विपक्ष के नेता का पद संस्थागत: हुआ और निर्णय बहुमत के बजाय आम सहमति के द्वारा लिया गया

{ शैडो कैबिनेट - विपक्ष के दल को वेटिंग कैबिनेट कहा गया }

प्रधानमन्त्री शासन - जब सत्ता दल का बहुमत बहुत अधिक हो जिस कारण कार्यपालिका पर संसद का नियन्त्रण कमजोर हो जाये और कार्यपालिका प्रभावी हो तो इसे प्रधानमन्त्री शासन कहते है।

नकारात्मक पक्ष -

→ संसद में अपराधी छवि के लोग पहुंच गये और विधि को निमा तोड़ने वाले ही विधि के निर्माता बन गये

→ PM और मंत्रियों की उपस्थिति सदन में कम हो गयी

→ सदन की कार्यवाही का लगातार बहिष्कार किया गया और संसदीय समितियों का भी बहिष्कार की भी परंपरा प्रारंभ हो गयी

→ सदन में असंसदीय आचरण व हिंसात्मक घटनाये हुयी

→ 15वीं लोकसभा में पहली बार 11 सांसदों को सदन से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने घूस लेकर प्रश्न पूछा था।

→ 15वीं लोकसभा में सदस्यों के द्वारा नोटों का बंडल प्रस्तुत किया गया।

आभासी विधान, अनुपूरक मांग, संसदीय कोरम, मुख्यपार्लियामेन्ट

संसद को आम लोगों तक जोड़ना विशेषकर युवाओं (२१-२५) को

→ राज्य सभा की विशिष्ट भूमिका का उल्लेख कीजिए

→ संसदीय समितियों का अभिप्राय बताइए व संसदीय शासन में इनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए

→ स्पीकर के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए

→ संसद कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण कैसे स्थापित करती है समझाइए

→ राज्य विधान परिषदों की संरचना व उसकी उपयोगिता बताइए।

→ राज्य सभा की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान समय में इसके समक्ष उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में कुछ उपाय बताइए जो राज्यसभा की भूमिका को बेहतर बनाये।

प्रदत्त विधायन

सार तत्व का सिद्धान्त

संसद का सरकार पर वित्तीय नियन्त्रण किस प्रकार स्थापित होता है?

→ संसदीय शासन का मूल उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर संसद का नियन्त्रण है

बजट प्रस्तुतीकरण

सामान्य चर्चा → लेखानुदान

सदन स्थगन और बजट को विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है।

बजट पर विस्तार से चर्चा और सरकार अनुदान की माँग लेकर आती है।

अनुदान की माँग वह माँग है जिसके द्वारा विभाग अपने लिए विशेष पैसे की माँग करते है। अनुदान की माँग के समय कटौती प्रस्ताव लाये जाते है।

- **नीतिगत कटौती** — पूरे खर्च को 1 रुपये कर दिया जाये। कटौती का सबसे गंभीर रूप जिसमें विपक्ष सरकार की नीतियों को ही अस्वीकृत कर देता है।
- **आर्थिक कटौती** — जब सरकार के खर्च में एक विशेष राशि की कटौती कर दी जाये।
- **सांकेतिक कटौती** — 100 रुपये की कटौती इसके द्वारा सांकेतिक रूप में विपक्ष द्वारा विरोध व्यक्त किया जाता है

अनुदान की मांग के बाद सरकार विनियोग विधेयक लाती है।

विनियोग विधेयक अर्थात सरकार को संसद, भारत की संचित निधि से पैसे खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है

विधेयक – करारोपण के सारे प्रस्ताव इसमे लाये जाते हैं

वित्त विधेयक के पारित होने के साथ बजट पारित हुआ मान लिया जाता है।

लेखानुदान – संसद द्वारा सरकार को खर्च के लिए दो महीने की अग्रिम राशि देना

अतिरिक्त मांग – (additional Demand)

जब किसी नये वित्तीय वर्ष में किसी ऐसी नयी सेवा की मांग आ जाये जिसकी कल्पना बजट में नहीं की गयी थी, के खर्च के लिए सरकार अतिरिक्त मांग का प्रस्ताव लाती है।

पूरक मांग / Supplementary Demand –

पुरानी सेवा पर अधिक खर्च

excess Demand –

पुरानी सेवा खर्च अधिक लेकिन इसकी मांग सरकार संसद से अगले वित्तीय वर्ष में इसकी अनुमति लेती है।

Vote of Credit / प्रत्ययानुदान

जब संसद कार्यपालिका को blanck cheque दे दे क्योंकि खर्च की राशि बता पाना मुश्किल है।

गिलोटिन - बिना चर्चा के अनुदान की मांग को पारित कर देना

संसदीय समितियाँ

→ अभिप्राय —

→ महत्व

→ प्रकार

→ आलोचना

ऐसी समितियां जो सांसदों से मिलकर बनती हों तथा लोक सभा सचिवालय के निर्देशन में कार्य करें तथा लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय के द्वारा इन्हें कर्मचारी उपलब्ध कराये जायें और ये अपनी रिपोर्ट भी सचिवालय को प्रस्तुत करे। इन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

महत्व

→ संसद के कार्यपालिका पर उत्तरदायित्व को बेहतर करने के इसका बड़ा महत्व है

→ संसदीय समितियां संसद का लघु रूप हैं जो वर्ष भर कार्य करती रहती हैं

→ संसदीय समितियों की कार्यवाही गुप्त रूप में होती है और इनमें प्रत्येक दल का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है

→ समितियां संकीर्ण दलीय हितों के आधार पर कार्य नहीं करतीं — —

→ संसदीय समितियों के द्वारा संसद को विशेषज्ञता प्रदान की जाती है

प्रकार

- तदर्थ समितियां (कार्य विशेष के लिए)
  - Select Committee
    - Standing
    - एक सदन से निर्मित होने वाली समितियां
  - Joint Committee
    - दोनों सदनों से निर्मित होने वाली समिति
- स्थायी समितियां (सदैव)
  - विभागीय, लोक लेखा समिति
    - Select - Joint

वित्तीय समितियां

- परंपरागत समितियां
  - लोक लेखा समिति
  - प्राक्कलन समिति
  - सार्वजनिक उपक्रम समिति
- नयी समितियां
  - विभागीय समितियां (अमेरिका से)

लोकलेखा समिति (15 + 7)

कैग की रिपोर्ट के आधार वित्तीय मूल्यांकन [जितना जिसके द्वारा जिसमद में] सरकार की नीति की आलोचना नहीं बल्कि उस नीति के क्रियान्वन में खर्च पैसे का औचित्य और गुणात्मकता है

खर्च के बाद आकलन

प्राक्कलन समिति (खर्च के पहले आकलन)

- केवल लोकसभा के सदस्य

प्रत्येक मन्त्रालय के खर्च की जांच के लिए विभागीय समितियों की स्थापना [वर्तमान में २४]
इसका मूल कार्य विभागों के अनुदान की मांग पर विचार करना। इनके द्वारा सरकार के खर्च पर बेहतर वित्तीय नियन्त्रण

{16 लोकसभा सचिवालय + 8 राज्य सभा सचिवालय}
-- 1 वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर

संसद को संचालित करने वाली समितियां -

① कार्य मंत्रणा समिति — संसद के समक्ष उत्पन्न विभिन्न विषयों का कार्य विभाजन कैसे किया जाये ex→ स्थगन प्रस्ताव स्वीकारें या नहीं [स्पीकर-पदेन सभापति

②

② सांसदों की सुविधाओं के लिए निर्मित समितियां
पुस्तकालय समिति, आश्वासन समिति,
आवास समिति
सदन के पटल पर रखे गये पत्रों की समिति

③ सामाजिक कल्याण हेतु समितियां
महिलाओं के सशक्तीकरण
SC, ST समिति
नैतिकता समिति

नियम समिति -

संसद की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए किसी नये नियम के निर्माण के लिए सुझाव देना

इस समिति का पदेन सभापति - स्पीकर

Ethics Committe -

→ आरंभ में नेताओं का approach आदर्शवादी थी

→ 1967 प्रतिस्पर्धी राजनीति का प्रारम्भ

→ 1990 के बाद भारतीय राजनीति व्यवस्था का तीव्र ह्रास

राजनीति का अपराधीकरण

वोहरा कमेटी ने कहा कि राजनेता, अपराधी सिविल सेवकों के गठजोड़ का

ethics - आन्तरिक नियंत्रण

विधान परिषद

संरचना

→ विधान सभा का 1/3 कम से कम 40

1/3 स्थानीय निकायों के द्वारा

1/12 स्नातकों के द्वारा

1/12 शिक्षकों के द्वारा

1/6 का मनोनयन राज्यपाल

विधान परिषद का प्रावधान संक्रमण कालीन है

→ अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद इसका निर्माण व समाप्ति कर सकती है।

→ यदि राज्य विधान सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाये तो संसद के द्वारा इसका निर्माण

→ निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा

→ विधान परिषदें विलम्बकारी सदन है

→ धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है

→ किसी सामान्य विधेयक को चार महीने तक ही रोक सकती है

→ संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है

राज्य सभा स्थायी जबकि विधानपरिषद का निर्माण संसद से कार्यों में अंतर

संसदीय समितियों का आलोचना

भारतीय इतिहास मे पहली बार संसदीय समितियों में भी दलीय आधार पर विभाजन उभर रहे हैं जो कि संसदीय संविधान की भावना के प्रतिकूल है।

संसदीय समितियों मे विशेषज्ञों का अभाव होता है अतः यह अपना कार्य प्रभावी रूप में संपादित नही करते

→ भारत में एक नवीन परंपरा का विकास हो रहा है जिसके अन्तर्गत संसदीय समितियों का भी विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं।

न्यायपालिका

- न्यायिक प्रावधान
- बढ़ श्रेणी की न्यायपालिका की संरचना जो है
- प्रशासनिक कार्य

→ न्यायिक आयोग की संरचना को स्पष्ट कीजिए व उसके महत्व का उल्लेख कीजिए

→ भारतीय संविधान में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान में किस प्रकार वर्णित क्या इसमें कोई सुझाव प्रस्तुत करें।

→ न्यायधीशों की नियुक्ति की वर्तमान Collision व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण के विचार के विपरीत है। चर्चा कीजिए।

→ न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक, न्यायपालिका के उत्तरदायित्व को बेहतर बनाने के लिए लाया जाता है।

→ न्यायपालिका के उत्तरदायित्व या स्वतंत्रता के बीच संभावित विवाद का आकलन इस विधेयक के संदर्भ में कीजिए।

न्यायधीशों की नियुक्ति व हटाने की प्रक्रिया [विवाद]

संविधान का प्रावधान, कोलेजियम व्यवस्था

प्रस्तावित न्यायिक आयोग का प्रचार

संविधान – न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति के समय मंत्रिपरिषद के अलावा S.C. के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। भारतीय संविधान में न्यायधीश की उपलब्ध कराया जाये 1993 में

1993 में जजेज केस के द्वारा

→ 1993 के बाद भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की प्राथमिकता स्थापित की गयी

→ S.C. का न्यायाधीश भारत के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर करेगा।

~~वरिष्ठतम~~ कोलिजन का निर्णय आम सहमति के द्वारा होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश की राय शामिल होगी

यदि कोलेजियम के दो सदस्य किसी नाम का विरोध कर रहे तो नाम आगे नहीं भेजा जायेगा

उच्चन्यायालय — H.C. का मुख्यन्यायाधीश

S.C. के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के न्यायधीशो के स्थानान्तरण के मुद्दे मे S.C. का C.J. + 4 (S.C) + 2 H.C - मुख्य न्यायधीश
कहां से कहां का

आलोचना -

[कोलेजियम का निर्माण न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, स्वायत्तता के लिए किया गया]

[दिनकरन केस] मद्रास - दिल्ली → सिक्किम

आलोचकों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका शक्ति के पृथक्करण की धारणा के विपरीत है और भारत मे न्यायधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे है। कोलेजियम के द्वारा अनेक ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे।

अंकल जज सिंड्रोम

कोई भी वकील वहाँ पर वकालत नहीं करेगा जहाँ उसका कोई संबंधी कार्य कर रहा है।

संविधान मे शासन का कोई भी अंग सर्वोच्च नहीं है और एक लोकतांत्रिक देश में हम न्यायाधीशों की सरकार की कल्पना नहीं कर सकते।

न्या.स.

न्यायिक आयोग का प्रस्ताव

: (न्यायाधीशों के आचरण के नियंत्रित करने के लिए) राज्य सभा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संविधान संशोधन को पारित कर दिया है और यह लोकसभा से पारित होना बाकी है इसके द्वारा न्यायधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके एक न्यायिक आयोग गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसकी संरचना निम्नलिखित है

→ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। केन्द्रीय विधि मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और २ अन्य गणमान्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी

२ गणमान्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक समिति का निर्माण किया जायेगा जिसमें PM, CJI लोकसभा में विपक्ष के नेता व विधि मन्त्रालय का सचिव शामिल होगा।

कोलेजियम का कार्य S.C. के न्यायाधीशों नियुक्ति H.C. न्यायधीशों की नियुक्ति एवं उनका स्थानान्तरण

→ न्यायाधीशों के विरुद्ध दुराचरण के आरोप को जारी करना ।

आलोचना –

आलोचकों के अनुसार आयोग में सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संख्या न्यायाधीशों के बराबर हो जायेगी इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक दखलंदाजी का मार्ग खुल जायेगा ।

इस वर्ष S.C के लगभग 14 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त कर रहे हैं और सरकार नियुक्ति में अपनी प्राथमिकता स्थापित करना ~~चाहिए~~ चाहती

→ सरकार के विरुद्ध न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं और सरकार इन मामलों को दबाना चाहती है।

सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियों पर नियन्त्रण और प्रतिबन्ध आवश्यक है अतः न्यायिक आयोग का विचार व्यावहारिक और तार्किक है यद्यपि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

(A) संविधान का प्रावधान (B) संसदीय व्यवस्था (C) न्यायिक आयोग का विचार

↳ आधार –

कदाचार व अक्षमता के आधार पर

प्रक्रिया – संविधान में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त उल्लेख है। जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों को संसद की विशेष प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होगा।

~~हिदायतें – निष्कर्ष~~ →

2/3 बहुमत प्रस्ताव

(B) न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968

(A) न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है।

बशर्ते यदि लोकसभा में प्रस्ताव है तो 100 सदस्य या राज्य सभा के 50 सदस्य, राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र को स्पीकर या सभापति को प्रस्तुत करे।

एक सदन में प्रस्ताव दूसरे सदन में न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने को मिलेगा।

रामास्वामी व सौमित्र सेन के विरुद्ध लाया गया।

वेंकट चलैया आयोग ने भारत में

न्यायिक आयोग की स्थापना का सुझाव दिया।

न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक

यह विधेयक न्यायाधीशों के व्यवहार तथा गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु तथा न्यायाधीशों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए लाया जा रहा है। अधिनियम के मूल प्रावधान हैं—

→ न्यायाधीशों को संवैधानिक तथा कानूनी निकायों एवं उनके पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों के दौरान अनावश्यक टिप्पणी करने पर पाबंदी।

→ न्यायाधीश अपनी भावनाएं खुले न्यायालय में व्यक्त नहीं करेंगे।

→ न्यायाधीश के बच्चे या उनके रिश्तेदार उस न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करेंगे जहां वे न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

→ आम व्यक्ति को न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत का अधिकार होगा लेकिन शिकायत झूठी पाये जाने पर एक लाख का जुर्माना अथवा 1 साल की कैद होगी। न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की

जाँच के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति की स्थापना होगी जिसकी सुनवाई बन्द कमरे में होगी।

→ निगरानी समिति की संरचना :-

→ S.C. के पूर्व मुख्य न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष होंगे तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी व एक गणमान्य व्यक्ति समिति के द्वारा न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच होगी तथा न्यायाधीशों के अच्छे आचरण के लिए सुझाव भी दिया जायेगा।

राज्यसभा

→ ~~राज्य सभा~~ नॉमिनेशन का सुधार

→ लोकसभा में हारे लोग राज्यसभा से न आये

सारतत्व का सिद्धान्त - 7 वीं अनुसूची के विषयों का निर्धारण कि कौन सा विषय किस किस सूची का है इसके लिए उनके शीर्षक पर नहीं सारतत्व पर ध्यान देती है।

उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक और मूल अधिकारों का संरक्षक है टिप्पणी कीजिए

भारतीय संविधान लिखित है जिसमें मूल अधिकारों का अध्याय है और संघीय शासन है और शासन के विभिन्न अंगों पर प्रतिबंध भी आरोपित है जिसकी व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

संघ और राज्यों से जुड़े हुये विवादों के समाधान की शक्ति उच्चतम न्यायालय को है। बोम्मई वाद (1994) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संघीय शासन संविधान का आधारभूत लक्षण है किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो उनकी रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। 5 प्रकार के उपाय है जिनके द्वारा ...।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार पृच्छा उत्प्रेषण, प्रतिषेध वर्तमान समय में S.C. द्वारा मूल अधिकारों की बड़ी विस्तारित व्याख्या की गयी है। उच्चतम न्यायालय ने मूलअधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिकाओं का भी प्रयोग किया

राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायलय से संवैधानिक मामलों पर सलाह ली जा सकती है। (अनु॰ 143)

उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है इसीलिए केशवानंद भारती वाद में आधारभूत संरचना का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार इन आधारभूत तत्वों का संशोधन

नहीं हो सकता

शक्तियों के प्रश्न में

→ S.C. के विशेष इजाजत की शक्ति

→ अपीलीय शक्ति भी

उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी शक्ति के महत्व का उल्लेख कीजिए

उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक निर्णय बाध्यकारी होता है जबकि वे निर्णय जो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते उन्हें सलाहकारी कहा जा सकता है।

सार्वजनिक महत्व के विषय व संविधान लागू होने के पूर्व की संधियों और समझौतों पर सलाह ली जाती है।

मूल प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका सलाह देने के लिए बाध्य है। दूसरे मामले पर सलाह देने को बाध्य (संविधान) है।

इस सलाहकारी शक्ति का महत्व यह है कि यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है किन्तु सभी न्यायालयों के लिए अभिलेख है क्योंकि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। सरकार को किसी वैधानिक मुद्दे पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण पहले पता चल जाता है इसलिए विधि-निर्माण करते समय विधायिका इसे ध्यान में रखती है।

न्यायिक सक्रियता क्या है?

(1) क्या आप इस मत से सहमत हैं कि न्यायपालिका वर्तमान समय में कार्यपालिका की भूमिका में आ गयी है? न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में लगातार अतिक्रमण से शक्ति के पृथक्करण की धारणा संकट ग्रस्त हो रही है। टिप्पणी कीजिए।

न्यायिक सक्रियता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए और न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए

सामान्य अभिप्राय
क्या वास्तव में न्यायपालिका सक्रिय है? (exa.)
अति सक्रियता (overreach)
निष्कर्ष

सरकार के तीन अंग होते हैं विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका का विधि का निर्माण, कार्यपालिका का कार्य विधि का क्रियान्वन व न्यायपालिका का कार्य विधियों की जांच करना है। न्यायपालिका की परंपरागत भूमिका में परिवर्तन को ही न्यायिक सक्रियता का नाम दिया गया

परंपरागत भूमिका	वर्तमान भूमिका
→ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया	→ विधि की उचित प्रक्रिया
→ परंपरागत रूप में संसद के संशोधन की शक्ति पर कोई	→ आधारभूत ढांचे के सिद्धान्त से न्यायपालिका ने

प्रतिबन्ध नहीं था। संसद के संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया है।

→ कार्यपालिका का कार्य सरकार के दो अंगों के बीच विवाद निस्तारण का दायित्व था

जनहित याचिका व स्वतः संज्ञान की कार्यवाही (Suo moto action)

~~अतिशक्रियता~~

सक्रियता तक ठीक था क्योंकि न्यायपालिका अपना मूल कार्य संविधान की व्याख्या कर रही थी जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होगा (~~संविधान~~ न्यायपालिका के अनुसार) [काले धन के मामले में SIT का निर्माण, CBI की Report, S.C. को, गेहूं बांटना].

अतिसक्रियता — जब न्यायपालिका कार्यपालिकीय विषयों में ~~हस्तक्षेप~~ करे

→ 2G मामले
→ काले धन के मामले में SIT
→ गरीबों को गेहूं बांटना
→ CVC के ~~अध्~~ chair person P J थामस की नियुक्ति को रद्द कर दिया [चयन की प्रक्रिया गलत, भ्रष्टाचार का आरोप]
→ दिल्ली में सीलिंग, CNG बस चलाओ

आलोचना

→ आलोचकों के अनुसार कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप शक्ति पृथक्करण की धारणा के विरुद्ध है

→ न्यायपालिका को प्रशासन की जटिलताओं का ज्ञान नहीं होता

→ आलोचकों के अनुसार न्यायपालिका के द्वारा प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप से अनिश्चितता और भ्रम में वृद्धि होती है। तथा प्रशासन का संचालन कठिन हो जाता है।

→ न्यायपालिका के द्वारा प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप से न्यायपालिका की गरिमा भी कम होती है क्योंकि न्यायपालिका के निर्णय कार्यपालिका द्वारा ही लागू किये जाते हैं

[1970 के दशक में सरकार का न्यायपालिका पर आरोप सामाजिक न्याय में बाधक के रूप में था अन्य आरोप है कि सामाजिक न्याय न्यायपालिका क्यों कर रही है?]

भारत में संविधान सर्वोच्च है शासन का कोई अंग नहीं। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी का एक ही दायित्व है लोकतन्त्र को सुदृढ़ करना व सामाजिक न्याय की स्थापना। इसलिए तीनों अंगों के मध्य समन्वय व सामंजस्य होना चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका अलार्म क्लाक की तरह होना चाहिए जो समय समय पर चेतावनी दे

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का समर्थन नागरिकों के हित में है लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता उचित नहीं :

{ बालको का Disinvestment }
{ NCERT का Syllabus }

न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक सक्रियता में अंतर -

→ न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की संवैधानिक शक्ति है जबकि न्यायिक सक्रियता का विचार एक विवादास्पद संकल्पना है जिसमे न्यायपालिका पर अपनी शक्तियों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

→ न्यायिक पुनरावलोकन कार्यपालिका और विधायिका के कार्य के बाद शुरु होता है जबकि न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतः संज्ञान के द्वारा सरकार के लिए निर्देश देती है।

→ न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका ने विवाद निस्तारण का प्रयास किया जबकि न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय बेहतर बनाने का प्रयत्न किया।

→ न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जबकि न्यायिक सक्रियता में विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया।

न्यायपालिका ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह सक्रिय है यह आलोचकों द्वारा कहा गया। न्यायपालिका के अनुसार दोनों मे कोई अंतर नहीं है।

न्यायिक पुनरावलोकन

अभिप्राय

संकल्पना → संविधान
संकल्पना → न्यायपालिका द्वारा

किसका पुनरावलोकन → सामान्य विधि
→ अध्यादेश
→ संसदीय विशेषाधिकार
→ संविधान संशोधन

न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायपालिका को संविधान से यह शक्ति प्राप्त है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्यपालिका व विधायिका के कार्य संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल न हों।
कुछ लोगों के अनुसार पुनरावलोकन की यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान (13(2)) द्वारा प्राप्त है जबकि कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह परोक्ष है न्यायपालिका की शक्ति का विस्तार है।
आलोचना

सामान्य विधि में पुनरावलोकन

→ जब सरकार 7वीं अनुसूची के विषयों का उल्लंघन करे

→ मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में [फेसबुक व ट्विटर पर प्रतिबन्ध].

संविधान से संसदीय विशेषाधिकारों का पुनरावलोकन प्रतिबंधित है लेकिन मूल अधिकारों से टकराहट की स्थिति में पुनरावलोकन कर सकती है।

केशवानन्द भारती वाद से यह बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध -

भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है सर्वोच्च नहीं

→ वित्त आयोग को सौंपे गये मामलों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा

→ अन्तर्राज्यीय जल विवाद न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर है

→ मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गयी सलाह

→ 1950 से पहले सरकार के द्वारा किये गये समझौते व संधियां

→ संघ और राज्य के बीच वित्तीय समायोजन का मामला

→ चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन + संसदीय विशेषाधिकारों का

आच्छादन के सिद्धान्त -

यदि अंग्रेजी काल की विधियों व मूल अधिकारों में टकराहट हो तो मूल अधिकारों को इन पर प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात ये अधिकार विधियों को हक लेंगे

अलगाव - संविधान की उस विधि या विधि के भाग को निरस्त किया जाता है जो मूल अधिकारों का विरोधी हो शेष को नहीं। इसे आच्छादन भी कहते हैं।